



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 455 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2011—आश्विन 15, शक 1933

#### सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-5-5-2011-पन्द्रह-1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 में, उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(3) जब तक कि उपविधियों में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, साधारण सम्मिलन की सूचना, में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख एवं समय साथ ही सम्मिलन में किए जाने वाले कामकाज के विवरण के साथ सम्मिलन की तारीख से 14 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी एवं सूचना, सोसाइटी के क्षेत्र में परिचालित अधिकतम दो स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी.”.

No.F-5-5-2011-XV-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 95 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Rules, 1962, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in rule 34, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(3) Unless otherwise provided in the byelaws notice of the general meeting stating the place, date and hour of the meeting together with the statement of business to be transacted thereat shall be sent to every member 14 days before the date of meeting by ordinary post, and notice shall also be published in maximum Two local hindi newspapers in circulation in the area of the society.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव,